



क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2012-13 /

रायपुर, दिनांक / 04 / 2012

प्रति,

प्राचार्य,

1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई

**विषय: एम.एड.प्रवेश सत्र 2012-13 बाबत ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में एम.एड.पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

विवरणिका के अनुसार चयन समिति का गठन कर एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं परिषद् को अवगत करावें। अध्यापन कार्य 01.07.12 से अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

**संलग्न :- एम.एड.प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति।**

( अनिल राय )

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़  
रायपुर

पृ.क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2012-13 /

रायपुर, दिनांक / 04 / 2012

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस.भवन, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. आयुक्त, अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक वि. विभाग, पं.रविशंकर वि.वि. परिसर, रायपुर।
4. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
5. संचालक, नगरीय नियोजन विभाग, रायपुर।

( अनिल राय )

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़  
रायपुर



## एम.एड. 2012-13 हेतु प्रवेश नियम

1. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर (शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2012-13 में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश हेतु निम्नांकित वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं :-
  - (अ) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/शाला के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला) एवं उच्चतर माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 ।
  - (ब) आदिवासी कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्य/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला) एवं उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 ।
  - (स) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक ।
  - (द) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी आवेदक (जो सेवा में नहीं है)।
2. निर्धारित स्थान:-

संस्था का नाम	शिक्षा विभाग	आ.जा.अ.ज.वि.विभाग	अशासकीय संस्था (अनुदान प्राप्त)	सीधी भर्ती	कुल योग
	प्राचार्य/व्याख्याता/ प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ प्र.पा.प्रा.शा. /शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2	प्राचार्य/व्याख्याता प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ प्र.पा.प्रा.शा. /शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2	प्राचार्य/ व्याख्याता /शिक्षक		
1. शास.शि.महा.रायपुर	15	13	3	04	35
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर	15	13	3	04	35
3. कल्याण महावि. सेक्टर-6, भिलाईनगर	—	—	—	35	35
<b>कुल योग</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>06</b>	<b>43</b>	<b>105</b>

टीपः

- I. क्रमांक 01 (अ) तथा 01 (ब) के अनुसार वरीयता क्रम में प्राचार्य/व्याख्याता/ शिक्षाकर्मी वर्ग-1, प्रधान पाठक. पूर्व.मा.शा. / उ.श्रे.शि./ प्रधान पाठक.प्रा.शा./शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का चयन किया जायेगा।

- II. 01(स) के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं शालाओं के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा समकक्ष वर्ग में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों के लिए दोनों शासकीय महाविद्यालय में तीन-तीन स्थान निर्धारित है। पात्र आवेदकों के आवेदन निर्धारित संख्या में उपलब्ध न होने पर रिक्त पद सीधी भर्ती वाले आवेदकों से भरे जायेंगे।
- III. शिक्षा विभाग / आ.जा.अ.ज.वि. हेतु निर्धारित सीटों का पदवार बटवारा पूर्ववत् रहेगा।
3. **न्यूनतम अर्हताएँ: उपरोक्त वर्ग 'अ', 'ब', 'स' के लिए—**
- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  - 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्रता रखते हैं।
  - 3) बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
  - 4) आवेदक की आयु दिनांक 01.07.12 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
  - 5) पत्राचार पाठ्यक्रम के बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड. में आवेदन कर सकते हैं।
4. **न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त वर्ग 'द' के लिए :-**
- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो अर्थात् बी.एड. 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्रता रखते हैं।
  - 2) पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
  - 3) बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की गई हो, इस प्रकार का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं है।
  - 4) आवेदक की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
  - 5) आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  - 6) अच्छे आचरण का प्रमाण—पत्र अंतिम संस्था के प्राचार्य का प्रस्तुत किया जावे।
5. **प्रवेश हेतु शर्तें :-**
- 1) स्कूल शिक्षा विभाग, आ.जा.अ.ज.वि.विभाग एवं अशासकीय शालाओं के आवेदकों का चयन प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को अपनी वरिष्ठता संबंधी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। शिक्षाकर्मि वर्ग एक व दो को प्रथम नियुक्ति का आदेश तथा पदोन्नति होने की स्थिति में उनका आदेश की प्रति आवेदन में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
  - 2) उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के चयन किये गये आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यरत मानकर नियमानुसार वेतन दिया जावेगा लेकिन शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. के चयनित छात्राध्यापकों हेतु वेतन व्यवस्था पूर्व संस्था के द्वारा ही की जाएगी। शिक्षा कर्मि वर्ग-1, 2 की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।
  - 3) आ.जा.अ.ज.वि.विभाग के चयनित आवेदकों के वेतन आदि की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति ही की जाएगी। शिक्षाकर्मि वर्ग-1, 2 की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् ही रहेगी।
  - 4) (क) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं शालाओं के आवेदकों को संस्था की

प्रबंध समिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण काल में आवेदकों को अध्ययन अवकाश तथा पूरा वेतन दिया जावेगा।

- (ख) अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं शालाओं में प्रशिक्षण में भेजे गये शिक्षक के स्थान पर यदि कोई स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है, तब उक्त संस्था द्वारा इस नियुक्ति हेतु पृथक से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण पश्चात् शिक्षक को कम से कम दो वर्ष की सेवा उसी संस्था में देनी होगी।
- 5) आवेदकों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।
  - 6) चयनित समस्त आवेदकों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
  - 7) अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
  - 8) प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की मांग नहीं की जावेगी।
  - 9) चयन होने एवं प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर आगामी दो वर्षों तक आवेदक को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।
  - 10) सीधी भर्ती के स्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर की जायेगी।
  - 11) वर्ग (अ), (ब) एवं (स) के आवेदकों ने विगत तीन वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो।
  - 12) चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीय आवेदकों के लिए वरिष्ठता रहेगी। उम्मीदवारों के वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आयु की समानता होने की स्थिति में बी.एड. के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जायेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - 13) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा तभी उनके आवेदन को मान्य किया जायेगा।
  - 14) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक अपने संस्था प्रमुख से स्टाम्प पेपर पर कार्यरत है इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

#### 6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

##### (1) वर्ग (अ) एवं (ब) के लिए -

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था प्रमुख से अग्रेषित करना होगा। संस्था प्रधान आवेदन एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक

आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को दिनांक 30.05.12 तक भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त /आवेदन के चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 10.06.11 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। आवेदकों द्वारा एक अग्रिम प्रति सीधे महाविद्यालय भेजी जावे। शासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत आवेदक अपने संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र सीधे संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित

अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे। यह आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम प्रति होगी। उचित माध्यम से एक प्रति दिनांक 10.06.12 तक अनिवार्यतः भेजेंगे।

शिक्षा कर्मी अपने आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने से पहले आवेदन को संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करायेंगे तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो )से प्रति हस्ताक्षर करायेंगे।

**शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-**

1. रायपुर
2. महासमुंद
3. दुर्ग
4. राजनांदगांव
5. कवर्धा
6. बस्तर
7. दंतेवाड़ा
8. धमतरी
9. कांकेर
10. बेमेतरा
11. बलौदाबाजार
12. बालोद
13. गरियाबंद
14. सुकमा
15. बीजापुर
16. कोण्डागांव
17. नारायणपुर ।

एम.एड. में प्रवेश हेतु शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जिलों से प्राप्त आवेदनों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर चयन किया जावेगा।

**उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-**

1. बिलासपुर
2. कोरबा
3. जांजगीर
4. रायगढ़
5. जशपुर
6. सरगुजा
7. सूरजपुर
8. बलरामपुर
9. कोरिया
10. मुंगेली

**अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट -**

- आवेदक के आयु 01.07.2012 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
- एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /शिक्षाकर्मियों का आवेदन प्राप्त होने पर पात्र वरिष्ठ का आवेदन अग्रेषित करें।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला /दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन का अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- बी.एड. में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण ही प्रात्र होंगे।
- SC/ST/OBC वर्ग जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) **वर्ग (स) के लिए :-**

अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं / संस्थाओं के आवेदक अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 30.05.12 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजें।

जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करके उपरोक्तानुसार संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर दिनांक 10.6.12 तक भेजेंगे।

(3) **वर्ग (द) के लिए :-**

सीधी भर्ती हेतु आवेदक जिस भी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं वे बी.एड. की वि.वि. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिवस के अंदर संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

- (4) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी आवेदकों को संलग्न करनी हैं। सीधी भर्ती के आवेदकों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न पद का हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) आचरण प्रमाण पत्र एवं टी.सी. मूलतः संलग्न करना हैं।
- (5) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (6) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।
- (7) विभागीय सीटों के लिए निर्धारित दिनांक 30.05.12 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं सीधी भर्ती के लिए बी.एड. विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने के सात दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (8) चयन समिति में संचालक परिषद् के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे शेष प्रतिनिधि में से एक-एक आदिम जाति विकास विभाग (सहायक विकास आयुक्त से अन्यून), शिक्षा विभाग से स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित किये जायेंगे।

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जाँच प्रवेश देते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित है :-

गैर छात्रावासी	3595 रु. प्रति छात्र (वार्षिक)
छात्रावासी	5495 रु. प्रति छात्र (वार्षिक)


( अनिल राय )  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़  
रायपुर

**एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**  
**सत्र 2012-13**

प्रति,

प्राचार्य,

01. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
02. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
03. कल्याण महाविद्यालय, से0-6, भिलाई नगर



विषय: एम.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2012-13 आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) : .....
2. ई मेल : .....
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर : .....
4. पद (यदि सेवारत हो तो) : .....
5. विभाग स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण/पंचायत विभाग ,अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य : .....
6. कार्यरत संस्था का नाम व पता : .....
- फोन नंबर : .....
7. क्या आप सीधी भर्ती के आवेदक हैं? हाँ/नहीं : .....
8. (अ) क्या आप अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/संस्थान में सेवारत हैं? हाँ/नहीं .....
- (ब) यदि हाँ तो क्या आप ने अपनी संस्था की प्रबंधन समिति का विज्ञापन की कंडिका क्रमांक (5) (4) (क) में वर्णित प्रमाण-पत्र संलग्न हैं? हाँ/नहीं : .....
9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. शासकीय सेवा के आवेदकों के लिए—  
(अ) वर्तमान पद : .....
- (ब) पद पर नियमित/स्थायी है अथवा नहीं (स्पष्ट करें): .....
11. जन्म तिथि (अंकों में): ..... (शब्दों में) : .....
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र)
12. दिनांक 01.07.11 को आयु: वर्ष .....माह.....दिन.....
13. नियुक्ति दिनांक : (अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक .....पद.....
- (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक .....पद .....
- नियुक्ति व वर्तमान पद में नियुक्ति का आदेश की छाया प्रति आवश्यक रूप से आवेदन में संलग्न करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पर आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
14. विभागीय आवेदकों के लिए कंडिका 5 (11) के अनुसार विगत तीन वर्षों में

शासकीय व्यय पर किये प्रशिक्षण की अवधि एवं विवरण:

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	स्थल

15. क्या एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए 5 (9) के अनुसार विगत दो वर्षों की अवधि में प्रवेश हेतु चयन किया था?

यदि हाँ तो चयन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश लेकर पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़ देने के कारणों का विवरण दें।

16. निम्नलिखित में से जिसका सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✓) लगायें।

- (1) माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (2) उच्चतर माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (5) बी.एड. की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (6) पी.एच.डी. की उपाधि की सत्य प्रतिलिपि।
- (7) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (8) जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए) की सत्य प्रतिलिपि।
- (9) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण-पत्र।
- (10) आचरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि। (विभागीय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।)
- (11) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (12) नियुक्ति आदेश शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए।

17. क्षेत्र की संस्था का नाम जहाँ के लिए पात्र हैं: .....

18. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण:

मैं .....यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि एम.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

पता .....

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

19. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का उसके अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत ..... वर्ष से .....पद पर पदांकित है। आवेदक का



कार्य व व्यवहार ..... हैं।

दिनांक .....

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर  
पद मुद्रा

20. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थान में .....पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं।

दिनांक .....

प्रति हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी  
पद मुद्रा

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में .....पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर  
सहायक आयुक्त  
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग  
पद मुद्रा  
.....संभाग (छ.ग.)

22. पंचायत विभाग के कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन द्वारा दी गई जानकारीयों विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पंचायत विभाग के अन्तर्गत .....शाला में .....पद पर कार्यरत है तथा उक्त पद पर नियुक्ति दिनांक .....है।

प्रति हस्ताक्षर  
मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जिला /जनपद पंचायत  
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  
पद मुद्रा

23. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा) मैं .....पिता.....उम्र.....दिनांक .....से .....तक .....संस्था में .....पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर तथा शासकीय शिक्षा 9

महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1. ....

2. ....

24. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पिता .....पता .....

मेरी संस्था में ..... से .....तक कार्यरत है। मेरी संस्था को

..... सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।

उक्त आवेदक एम.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....



क्र./बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2012-13/  
प्रति,

रायपुर, दिनांक /04/12

1. प्राचार्य,  
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. प्राचार्य,  
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर

**विषय :- बी.एड.प्रवेश (विभागीय) 2012-13 की विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत ।**

बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण 2012-13 हेतु आपकी संस्था का सीट आबंटन निम्नानुसार है-

क्र.	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग		आ.जा.अ.ज.वि.विभाग		अशास.संस्था अनुदान प्राप्त	कुल योग
		व्या. / शि.क. वर्ग-1	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला /उ.श्रे.शि. /प्रधानपाठक प्राथमिक शाला / शि.क.वर्ग-2 /सहा.शि. / शि.क.वर्ग-3	व्या. / शि.क. वर्ग-1	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला /उ.श्रे. शि. /प्रधानपाठक प्राथमिक शाला / शि.क.वर्ग-2 /सहा.शि. /शि.क. वर्ग-3		
01	शास.शिक्षा महावि. रायपुर	20	22	20	22	03	<b>87</b>
02	शास. शिक्षा महावि. बिलासपुर	20	22	18	22	03	<b>85</b>

आप अपने कार्यक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से शिक्षकों के आवेदन दिनांक **10.06.12** तक प्राप्त करें । शिक्षा कर्मी वर्ग 1 व 2 यदि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी ( जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे और यदि वे आदिम जाति विकास विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी ( जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर उपरान्त सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ,/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग शिक्षकों से **30.05.12** तक पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगे । प्राप्त आवेदनों को पद व वरिष्ठता के आधार पर अग्रेषित कर नामीनल रोल सहित संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को भेजेंगे । जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें । उन्हें यह भी निर्देशित

करें कि वे बी.एड.प्रवेश 2012-13 हेतु समय पर सूचना एवं आवेदन का प्रारूप प्रसारित करें तथा कार्यालय के **नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें** । अनुदान प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त शालाओं के शिक्षकों के आवेदनों का नामीनल रोल पृथक से बनाया जावे । एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार गठित चयन समिति ही बी.एड.प्रवेश के लिए होगी ।

उपरोक्त समिति गठित कर **20.06.12** तक सूची परिषद् द्वारा अनुमोदित कराकर जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को देवें ताकि अध्यापन कार्य **01.07.12** से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो । बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है-

1. आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक, प्राथमिक शाला /सहायक शिक्षक/शिक्षाकर्मि वर्ग 01, 02 तथा 03 जो कम से कम 50 प्रतिशत के साथ (SC/ST/OBC वर्ग के लिए 05 प्रतिशत का छूट होगा।) स्नातक हो पात्रता रखता है।
2. उक्त पदों पर कार्यरत स्नातक यदि डी.एड. हो तो उसे भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
3. प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा । वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा ।
4. चयन के लिए वरियता क्रम व्याख्याता, शिक्षाकर्मि वर्ग 01, प्रधानपाठक मा.शा., उ.व.शि. , प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, शिक्षाकर्मि 02 , सहायक शिक्षक, शिक्षाकर्मि वर्ग 03 होगा।
5. आवेदक की अधिकतम आयु दिनांक 01.07.12 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
6. स्कूल शिक्षा विभाग /आदिम जाति कल्याण विभाग के व्याख्याता /शिक्षक हेतु निर्धारित कुल रिक्त पदों को जोड़ कर उन पदों हेतु शिक्षा कर्मियों की संयुक्त सूची (शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में कार्यरत ) बनाकर वरिष्ठता क्रम अनुसार चयन किया जाएगा।
7. शिक्षा विभाग एवं आ.जा.अ.ज.वि.विभाग के लिए संवर्गवार आरक्षित सीट में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त शिक्षा विभाग एवं अनु.जा.क.विभाग में रिक्त सीट को उन्हीं संवर्ग में आपस में परिवर्तित किया जाएगा इसके पश्चात् भी रिक्त रहने पर शिक्षाकर्मियों को प्रवेश दिया जावेगा।
8. समस्त आवेदकों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति /पदोन्नति आदेश की छायाप्रति जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
9. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को संलग्न प्रारूप में 10 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा, तभी उनके आवेदन को मान्य किया जाएगा । इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित कराना अनिवार्य होगा ।
10. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को आवेदक संस्था प्रमुख से संलग्न प्रारूप नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यरत होने का इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
11. विभागीय आवेदकों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
12. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट निम्नानुसार होगा -
  - आवेदक के आयु 01.07.2012 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
  - लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
  - एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /शिक्षाकर्मियों का आवेदन अग्रेषित न करें।
  - आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला /न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।

- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक में सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा पिछड़ा वर्ग /अनु.जाति./अनु.जन.जाति वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर ही आवेदन का अग्रेषण करें छूट के लिए SC/ST/OBC वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

13. चयन के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि अग्रेषणकर्ता अधिकारी आवेदन का अग्रेषण चेक लिस्ट अनुसार किये है अथवा नहीं। आवेदक उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र एस.सी.ई. आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।

( अनिल राय )  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र./बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2012-13/

रायपुर, दिनांक /04/12

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा, रायपुर।


( अनिल राय )  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़  
रायपुर

**बी.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**  
**सत्र 2012-13**

प्रति,

प्राचार्य,

.....  
.....



विषय: बी.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2012-13 आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) : .....
2. ई मेल : .....
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर : .....
4. विभाग स्कूल शिक्षा / आदिम जाति कल्याण /  
पंचायत विभाग / अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला /  
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / अन्य : .....
5. I. जन्म तिथि (अंकों में) : .....
- (शब्दों में) : .....
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र)
- II. वर्ग – (SC/ST/OBC वर्ग जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
6. नियुक्ति दिनांक  
(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक : .....
- पद : .....
- (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक : .....
- पद : .....
- (वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करें। अन्यथा ऐसे नहीं करने पर आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।)
7. शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

8. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण –  
मैं ..... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से

पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि बी.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

पता .....

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

**09. समस्त अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट—**

- आवेदक के आयु 01.07.2012 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
- एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /शिक्षाकर्मियों का आवेदन अग्रेषित न करें।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला /दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक में सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा पिछड़ा वर्ग /अनु.जाति./अनु.जन.जाति वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर ही आवेदन का अग्रेषण करें छूट के लिए SC/ST/OBC वर्ग जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

**10. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का उसकी सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत ..... वर्ष से .....पद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार ..... हैं।

दिनांक .....

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर

पद मुद्रा

**11. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थान में .....पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं। चेक लिस्ट के अनुरूप जांच की जा चुकी है।

दिनांक .....

प्रति हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी

पद मुद्रा

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए –  
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में ..... पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त

अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग

पद मुद्रा .....संभाग (छ.ग.)

13. पंचायत विभाग के शिक्षा कर्मी वर्ग 01,02 व 03 हेतु –  
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं का सेवा पुस्तिका से मिलान से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक ..... पद पर कार्यरत है। आवेदक का इस पद पर नियुक्ति दिनांक.....है।

प्रति हस्ताक्षर

मुख्यकार्यपालन अधिकारी

जिला / जनपद पंचायत

पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

पद मुद्रा

14. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए से सत्यापित निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैं .....पिता.....उम्र.....

दिनांक .....से .....तक ..... संस्था

में .....पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6

साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर तथा शासकीय

शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में

आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1. ....

.....

2. ....

.....

16. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पिता .....पता .....

मेरी संस्था में ..... से .....तक कार्यरत है। मेरी संस्था को

..... सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।



उक्त आवेदक बी.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर  
नाम .....

पता .....

**नोट-** शिक्षाकर्मि वर्ग 01,02 व 03 के आवेदनों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विकासखण्ड अधिकारी के पश्चात् संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त जो (लागू हो) में अग्रेषण हेतु जमा करेंगे। बिन्दु क्रमांक 09 अनुसार संस्था प्रमुख से भी अग्रेषण करना अनिवार्य होगा।